चित्रकूट पुलिस

(1). मिशन शक्ति फेज-6 के अंतर्गत बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण एवं स्वावलंबन के प्रति जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई।

आज दिनाँक 31.10.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुम कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा (थाना रैपुरा द्वारा कस्बा रैपुरा में,थाना बहिलपुरवा द्वारा ग्राम करकापडरिया में,थाना मारकुण्डी द्वारा ग्राम गोपीपुर में,थाना सरधुवा द्वारा सरधुवा स्कूल में,थाना मानिकपुर द्वारा रेलवे स्टेशन मानिकपुर पर,थाना कोतवाली कर्वी द्वारा पोस्ट ऑफिस कर्वी में,) स्थानों पर भ्रमण कर मिशन शक्ति फेज-6 के अंतर्गत छात्राओं/बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का

अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका नेहा पुत्री छेदीलाल निवासी नांदी थाना पहाडी जनपद चित्रकूट द्वारा अपने पति शिवअनुज पुत्र बाबूलाल निवासी मनवारा थाना गौरिहार जनपद छतरपुर के विरुद्ध दहेज मांगने,गाली गलौच,मारपीट व परेशान करने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया था। परिवार परामर्श केन्द्र टीम उ0नि0 अनुपमा तिवारी , महिला आरक्षी सोनिका,महिला आरक्षी शिवांगी, द्वारा शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़ो को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्रीमती अनुपमा तिवारी प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र

2.महिला आरक्षी शिवांगी

3.महिला आरक्षी सोनिका

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अभयराज सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अमरेन्द्र सिंह,उ0नि0 श्री शैलेन्द्र शुक्ला व आरक्षी चालक अनिकेत द्वारा मु0अ0सं0 45/26 धारा 110,115(2),352,351(3) बीएनएस के वारण्टी अभियुक्त सुशील कुमार पुत्र सुखलाल निवासी चकला चक जाफर कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूषकान्त राय एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री सत्येन्द्र सिंह के पर्यवेक्षण में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली कर्वी पुलिस ने नाबालिक बालिका से दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया ।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 01.11.2026 को कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत निवासी एक वादी द्वारा कोतवाली कर्वी पर सूचना दी गयी कि उनकी नाबालिक पुत्री के साथ अभियुक्त रहस बिहारी पुत्र बल्दाऊ निवासी ग्राम पुरवा तरौहा, कर्वी, जनपद चित्रकूट ने दुष्कर्म किया और दुष्कर्म के सम्बन्ध में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी ।

इस सूचना पर कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 धारा 65(2),351(3) बीएनएस व 5M/6 पॉक्सो एक्ट बनाम रहस बिहारी उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

आज दिनाँक 03.11.2026 को कोतवाली कर्वी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त रहस बिहारी पुत्र बल्दाऊ निवासी ग्राम पुरवा तरौहा, कोतवाली कर्वी, जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1. **उ0नि0 श्री अमरेन्द्र सिंह**
2. **उ0नि0 श्री शैलेन्द्र शुक्ला**
3. **आरक्षी चालक अनिकेत**

(4). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी धनेश मिश्रा द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एससी एक्ट श्रीमती गीता सिंह द्वारा आज दिनाँक 03.11.2026 को थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 260/2016 धारा 323,325,504,506 भादवि0 एवं 3(2)5 ए एससी/एसटी एक्ट के आरोपी अभियुक्त 1. अंमर सिंह पुत्र शिवधारी सिंह 2. गोरेलाल पुत्र अमर सिंह 3. राजेन्द्र पुत्र अमर सिंह 4. सुरिजमान पुत्र भागवत निवासीगण करही थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 16000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.11.2016 को वादिया श्रीमती निर्मला पत्नी रामप्रताप कोरी निवासिनी करही द्वारा थाना मऊ पर सूचना दी गयी कि अभियुक्त उपरोक्तगण द्वारा उनको जाति सूचक शब्दो का प्रय़ोग करते हुये गाली गलौज,मारपीट व जान से मारने की धमकी दी गयी थी। इस सूचना के आधार पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 260/16 धारा 323,325,504,506 भादवि एवं 3(2)5 ए एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी श्री महेन्द्र कुमार शुक्ला द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचक द्वारा दिनाँक आरोपी अभियुक्तों के विरुद्ध दिनाँक 30.11.2016 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(5). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष रैपुरा श्री राम सिंह, पैरोकार मुख्य आरक्षी अवधेश शुक्ला, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट चित्रकूट श्री राहुल मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 03.11.2026 को थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 68/2023 धारा 08/20 NDPS एक्ट के आरोपी अभियुक्त बब्बू पाण्डेय पुत्र नत्थू प्रसाद पाण्डेय निवासी इटवा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गयी अवधि व 1150/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

(6). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री नरेश कुमार प्रजापति, पैरोकार आरक्षी कमलेश, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट चित्रकूट श्री राहुल मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 03.11.2026 को थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0

170/21 धारा 08/20 NDPS एक्ट के आरोपी अभियुक्त श्याम बिहारी पुत्र स्व0 अवधेश कुमार मिश्रा निवासी कुचौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गयी अवधि व 1100/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।